

वास्तविक सहायिकियों की निर्धारण की नीति

I. पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

यह नीति इक्विटी सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार की गई है जो 01 अक्टूबर, 2004 से लागू होगी और इसका उद्देश्य हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वास्तविक सहायक कंपनियों का प्रशासन सुनिश्चित करना होगा।

तदनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ('एचपीसीएल') में निम्न वास्तविक सहायिकियों के निर्धारण के संबंध में नीति एवं क्रियाविधियां अपनाई हैं।

II. परिभाषाएं

1. **लेखा परीक्षा समिति** – का आशय है समय-समय पर एचपीसीएल के निदेशक मंडल द्वारा यथा गठित लेखा परीक्षा समिति।
2. **निदेशक मंडल या 'बोर्ड'** – का आशय है समय-समय पर यथा गठित एचपीसीएल का निदेशक मंडल।
3. **वास्तविक सहायक कंपनी** – सहायक कंपनी को वास्तविक माना जाएगा, यदि सहायक कंपनी में एचपीसीएल का निवेश पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार इसके समेकित निवल संपत्ति के 20% से अधिक हो या यदि सहायक कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एचपीसीएल की समेकित आय का 20% निर्मित किया हो।
4. **वास्तविक गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी** – का आशय है असूचीबद्ध सहायक कंपनी जो भारत में निगमित हुई हो और जिसकी आय या निवल संपत्ति (अर्थात् अभिदत्त पूंजी और स्वतंत्र रिजर्व) क्रमशः एचपीसीएल और ठीक पहले के लेखांकन वर्ष में इसकी सहायक कंपनियों की समेकित आय या निवल संपत्ति से 20% अधिक हो।
5. **सहायक कंपनी** - का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत सहायक कंपनी के रूप में परिभाषित एक कंपनी।

III. क्रियाविधि एवं नीति

1. एचपीसीएल का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक वास्तविक गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक होगा।
2. एचपीसीएल का प्रबंधन वार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा समिति को वास्तविक सहायक कंपनियों की सूची प्रस्तुत करेगा। लेखा परीक्षा समिति इसकी समीक्षा करेगी और बोर्ड को उपर्युक्त सिफारिशें करेगी।
3. एचपीसीएल बिना अनुमोदन के / विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों के बिना अनुमोदन के सूचीबद्धता करार के प्रावधानों के अंतर्गत यथा अपेक्षित निम्न कार्य नहीं करेगा।

क) अपनी वास्तविक सहायक कंपनी में शेयरों को निपटाएगा नहीं जिससे इसकी शेयरधारिता (स्वयं या सहायक कंपनियों के साथ) 50% से कम हो जाए ; या

ख) वास्तविक सहायक कंपनी पर नियंत्रण करना बंद कर दे ; या

ग) किसी लेखांकन वर्ष के दौरान वास्तविक सहायक कंपनी की आस्तियों की 20% से अधिक बिक्री, निपटान या पट्टे पर समग्र आधार पर;

ऐसे मामलों को छोड़कर जहां ऐसा विनिवेश, बिक्री, निपटान, पट्टा, जैसी भी स्थिति हो, न्यायालय / ट्रिब्यूनल द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था के अंतर्गत किया गया हो।

IV. स्टेप डाऊन सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन

यह नीति एचपीसीएल की सभी सूचीबद्ध सहायक कंपनियों पर उनकी सहायक कंपनियों के लिए लागू होगी।

V. प्रकटन

यह 'वास्तविक सहायक कंपनियों के निर्धारण पर नीति' कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाएगी और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उसका एक वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

VI. परिवर्तन एवं संशोधन

बोर्ड, सूचीबद्धता करार के प्रावधानों और अन्य प्रयोज्य विधियों एवं किसी अगले संशोधनों एवं अधिसूचनाओं जो इस संबंध में प्रभावी हो के अनुसार समय-समय पर यथा अपेक्षित इस नीति की समीक्षा एवं संशोधन करेगा। लिस्टिंग समझौते और अन्य लागू कानूनों के तहत बाद में समय-समय पर अधिसूचना, परिपत्र, दिशा-निर्देशों में संशोधन, आगे संशोधन या संशोधन के बिना इस नीति में लागू यथोचित परिवर्तन सहित किया जाएगा।